



2026:AHC:27883

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3453/2026

प्रेमचंद्र

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: सर्वेश कुमार दुबे, उज्जवल दीक्षित

विपक्षी के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि समय बीतने के साथ ही मुकदमा शुरू हो गया और मुकदमे के दौरान, गवाह संख्या 2 (पीड़िता) का बयान दर्ज किया गया, जिसने अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं किया। इस बयान की प्रति पूरक हलफनामे के अनुलग्नक- एस0ए02 के रूप में संलग्न है, जिसे आज न्यायालय में दाखिल किया गया है और रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इसलिए उनका कहना है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष निष्ठापूर्वक उपस्थित रहेगा तथा अदालत द्वारा उस पर लगाई जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह यह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 02.05.2025 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस स्तर पर आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक **प्रेम चंद्र**, जो बीएनएस की धारा 70(1) और 333 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 152/2025 में आरोपी है, पुलिस स्टेशन गुरसहायगंज, जिला कन्नौज, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

ए. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

बी. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी. आवेदक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

डी. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका वह आरोपी है या जिस पर उसके किए जाने का संदेह है।

ई. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"